आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
6/7/2022	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अं. धारा 251 क राज. काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो। [signature] 6/7/22	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.05.16 11:13:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री रामसिह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बरः– 181/2021 दर्ज दिनांक 16.07.2021

जीसी एम एस न0 2021/480 निर्णय दिनांक 06.07.2022

1. माफी मन्दिर श्री बालाजी वाके ग्राम ढाणी बडकी जरिये पुजारी केशर देव पुत्र हनुमान दास जाति स्वामी निवासी गुढागौडजी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनु।
2. केशर देव पुत्र हनुमानदास उम्र 90 वर्ष जाति स्वामी निवासी गुढागौडजी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं
3. दिनेश स्वामी पुत्र केशर देव उम्र 47 वर्ष जाति स्वामी निवासी गुढागौडजी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनु।

प्रार्थीगण

बनाम

1. महिपाल पुत्र घासीराम
2. रामनिवास पुत्र घासीराम
3. सुमेर पुत्र घासीराम
4. संतोष देवी पत्नी घासीराम
5. सांवर पुत्र रेखाराम
6. दिनेश कुमार पुत्र धर्मपाल

समस्त जाति जाट निवासी ढाणी बड की तन गुढाबावनी उप तहसील गुढागौडजी जिला झुन्झुनूं

7. प्रबन्धक बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा गुढागौडजी तहसील उदयपुरवाटी।
8. प्रबन्धक स्टैट बैक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा गुढागौडजी तहसील उदयपुरवाटी
9. प्रबन्धक मिनि बैक ग्रा0 स0 समिति गुढागौडजी तहसील उदयपुरवाटी
10. प्रबन्धक आई0 डी0 बी0 आई0 बैंक लिमिटेड शाखा टोडी तहसील उदयपुरवाटी
11. नायब तहसीलदार गुढागौडजी उदयपुरवाटी झुन्झुनू
12. तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
13. श्री चन्द पुत्र रेखा जाति जाट निवासी बड की ढाणी तन गुढागौडजी

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) रा0 का0 अधिनियम

निर्णय दिनांक 06.07.2022

आवेदक ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम ढाणी बड की पटवार हल्का खेदडो की सरहद में हाल खसरा न0 9 रकबा 1.70 है0 स्थित है। उक्त भूमि आवेदक न0 1 माफी मन्दिर श्री बालाजी की खातेदारी में है। मन्दिर नाबालिग है आवेदक न0 2 मन्दिर का पुजारी है आवेदक न0 3 आवेकदक न0 2 का पुत्र है जो मन्दिर की सेवा पूजा में सहयोग करता है।उक्त वर्णित भूमि के पूर्व में अनावेदक संख्या 1 लगायत 4 की खातेदारी भूमिह है जो ग्राम ढाणी बड की पटवार हल्का खेदडो की ढाणी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.05.16 11:13:45 IST
Reason: SelfAttested

हाल खसरा न0 7 रकबा 2.61 है0, खसरा न0 323/7 रकबा 0.12 है0 स्थित है। उक्त भूमि की दक्षिण में ग्राम ढाणी बड की पटवार हल्का खेदडो की ढाणी हाल खसरा न0 204 रकबा 5.36 है0 गैरमुमकिन चारागाह भूमि है। आवेदकगण की खातेदारी भूमि खसरा न0 9 रकबा 1.70 है0 के आवागमन हेतु एक रास्ता हाल खसरा न0 204 में से होते हुये खसरा न0 313/203 रकबा 0.80 है0 की उत्तर पूर्वी सीमा के सहारे सहारे व खसरा न0 7 रकबा 2.61 है0 की दक्षिण पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे 8 फिट चोडा रास्ता है जिसके नजरी नक्शे मे ए, बी दर्शाया गया है। जिससे होकर आवेदकगण अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करता है आवेदकगण द्वारा अतिम बार दिनांक 02.07.2021 को निवेदन किया की नजरी नक्शे में दर्शित रास्ते को 8 फिट से चौडा कर 12 फिट कर देवे उसके बदले मे चाहे तो रास्ते में जाने वाल जमीन के बदले जमीन देने को तैयार तथा चाहे तो डी एल सी रेट का दोगुना भुगतान करने को तैयार है।

अन्त में निवेदन किया है कि ग्राम ढाणी बड की पटवार हल्का खेदडो की ढाणी की सरहद में हाल खसरा न0 9 रकबा 1.70 है0 में आवागमन के लिये अनावेदक न0 1 लगायत 7 की भूमि हाल खसरा न0 7 रकबा 2.16 है0 की दक्षिण पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे हाल खसरा न0 313/203 रकबा 0.80 है0 की उत्तरी पूर्वी सीमा के सहारे सहारे जो नजरी नक्शे में ए बी बिन्दूओ से दर्शाया गया है। 12 फिट चौडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश फरमया जावे तथा तदनुसार अनावेदक न0 12 व 13 को राजस्व रिकार्ड में राजकीय रास्ता दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अनावेदकगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

प्रकरण में अनावेदक संख्या 1 लगायत 13 बावजूद तामिल हाजीर नही अत : इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई । तहसीलदार से मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त । मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बड़ की ढाणी के भूमि खसरा न0 9 मे आवागमन हेतु खसरा न0 313/203 व खसरा न0 7 में से चाहे गये रास्ते के अलावा न्यूनतम दूरी का अन्य रास्त नही है। खसरा न0 313/203 उत्तर पूर्वी कोने में चाहे गये रास्ते की जगह मौके पर मुर्गी फार्म बना हुआ ।

बहस प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील आवेदक ने कथन किया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भूमि खसरा नम्बर 9 रकबा 1.70 है0 मे आवागमन के लिये अनावेदक की भूमि हाल खसरा न0 7 रकबा 2.16 है0 की दक्षिणी पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे हाल खसरा न0 313/203 रकबा 0.80 है0 की उत्तरी पूर्वी सीमा के सहारे सहारे रास्ते को कटाणशुदा रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा रास्ते को राजकीय रास्ता का[illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.05.16 11:13:45 IST
Reason: SelfAttested

तथा विद्वान वकलाय की बहस पर मनन किया गया ... मौका जांच रिर्पोट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ग्राम बड़ की ढाणी पटवार हल्का खेदडो की ढाणी की सरहद में स्थित अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 9 रकबा 1.70 है0 में आने जाने हेतु अनावेदक संख्या 1 लगायत 7 के कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 7 रकबा 2.16 है0 की दक्षिणी पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे हाल खसरा न0 313/203 रकबा 0.80 है0 की उत्तरी पूर्वी सीमा के सहारे सहारे रास्ता चाहा । तहसीलदार उदयपुरवाटी से प्राप्त मौका जॉच रिर्पोट में भूमि खसरा नम्बर 9 मे आवागमन हेतु रास्ता भूमि खसरा न0 7 रकबा 2.16 है0 की दक्षिणी पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे हाल खसरा न0 313/203 रकबा 0.80 है0 की उत्तरी पूर्वी सीमा के सहारे सहारे दर्शाया गया तथा इसके अलावा अन्य कोई नजदीकी रास्ता नही बताया । हाल खसरा न0 313/203 रकबा 0.80 है0 की उत्तरी पूर्वी सीमा पर तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार मुर्गी फार्म बना हुआ हैं खसरा न0 7 में से रास्ता देने पर प्रार्थीगण को कोई ऐतराज नही है। उक्त विवेचन के अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क)राज0 काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बड की ढाणी पटवार हल्का खेदडो की ढाणी की सरहद में स्थित आवेदक की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 9 में आवागमन हेतु अनावेदक संख्या 1 लगायत 5, 13 के कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 7 में सें तहसीलदार उदयपुरवाटी से प्राप्त मौका जॉच रिर्पोट में बिन्दु ए से बी तक दर्शाया गया रास्ता को राजकीय रास्ता कायम किया जाता है। प्रार्थीगण रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि के बदले डी0 एल0 सी0 दर की दुगनी राशि को तहसीलदार गुढागौडजी के पास जमा करवाऐ एवं तहसीलदार गुढागौडजी को आदेशित किया जाता है कि उक्त जमा डी0एल0सी0 दर की दुगनी राशी को जिस खातेदारी की भूमि रास्ते में समायोजित हो रही है को नियमानुसार भुगतान करे/ जमीन के बदले जमीन दे तथा उक्त 4 मीटर चौड़ा रास्ता को राजस्व रिकार्ड में राजकीय रास्ता दर्ज करते हुए नक्शा ट्रेस में भी अंकित करें। फर्द मौका रिर्पोट दिनांक 13.09.2021 मय नक्शा इस आदेश का अभिन्न हिस्सा रहेगी।

6/7/22

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.05.16 11:13:45 IST
Reason: SelfAttested